न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 421 सन 2020

अनवान :–

1. राजाराम पुत्र निराणाराम उर्फ नारायण जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. श्योचन्द पुत्र निराणाराम उर्फ नारायण जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
3. गौरीशंकर पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
4. सोहनलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
5. रोहिताश पुत्र निकुराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
6. भालाराम पुत्र दिपचन्द जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. विमला पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नि रणजीत जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ
2. धनकौर पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नि हंसराज जाति जाट निवासी नरवासी तहसील राजगढ जिला चुरू
3. महावीरसिह पुत्र हरकौरी पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नी गोविन्दराम जाति जाट निवासी हिसार
4. प्रतापसिह पुत्र हरकौरी पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नी गोविन्दराम जाति जाट निवासी हिसार
5. गुडी पुत्री हरकौरी पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नी गोविन्दराम जाति जाट निवासी हिसार .
6. कलावती पुत्री पुत्र हरकौरी पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नी गोविन्दराम जाति जाट निवासी हिसार
7. रामकुमार पुत्र बिदामी पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नि मुन्शीराम जाति जाट निवासी सिखवाल तहसील आदमपुर
8. रोहिताश पुत्र बिदामी पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नि मुन्शीराम जाति जाट निवासी सिखवाल तहसील आदमपुर
9. कलावती पुत्री पुत्र बिदामी पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नि मुन्शीराम जाति जाट निवासी सिखवाल तहसील आदमपुर
10. उम्मेदसिह पुत्र पारी पुत्री बिदामी पत्नि मुन्शीराम जाति जाट निवासी गालड तहसील राजगढ जिला चुरू
11. मैनादेवी पुत्री पारी पुत्री बिदामी पत्नी मुन्शीराम जाति जाट निवासी गालड तहसील राजगढ जिला चुरू
12. राजबाला पुत्री पारी पुत्री बिदामी पत्नी मुन्शीराम जाति जाट निवासी गालड तहसील राजगढ जिला चुरू
13. रोशनी पुत्री बृजलाल पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
14. कृष्णा पुत्री बृजलाल पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
15. समकोरी पत्नी बृजलाल पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
16. गुडडी पत्नी दीपचन्द पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
17. मन्जु पुत्री दीपचन्द पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
18. कमला पत्नी निकुराम पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
19. मोहिनी पुत्री निकुराम पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
20. शकुन्तला पुत्री निकुराम पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/09/2020

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 149/133 की कुल 11.4450 हैक मे से 636/3815 हिस्सा व चक मेधसिहपुरा के खाता संख्या 35/105 के खसरा न0 955/2 की 2.1370हैक मे से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण की माता व दादी के नाम से दर्ज है।

वादीगण की माता/दादी बालि पत्नि नारायण उर्फ निराणाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र बृजलाल , श्योचन्द , दिपचन्द, राजाराम , निकुराम हुए जिसमें से बृजलाल का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 3 ,4 एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 हुए , दिपचन्द का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 6 एवं प्रतिवादी संख्या 16,17 है तथा निकुराम का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 18 ता 20 है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 नारायण उर्फ निराणा की पुत्री है अर्थात बालि की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 नारायण की मृतक पुत्री हरकौरी के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 नारायण की मृतक पुत्री बिदामी के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 नारायण की मृतक पुत्री पारी के वारिसान है इसप्रकार बालि पत्नि नारायण उर्फ निराणाराम के जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 है जो बालि पत्नि नारायण उर्फ निराणाराम की सम्पति पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 जो वादीगण की बहनें/पिता /बुआ /भाई है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वाद भूमि जो बालि पत्नि नारायण उर्फ निराणाराम के नाम से दर्ज है को वादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पुर्वज बालि पत्नि नारायण उर्फ निराणाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 है जो बालि के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार है तथा निवेदन किया की वादी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपनी भाईयो /भतिजों के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि जिसे उनके हक हिस्सा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 21 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 149/133 की कुल 11.4450 हैक मे से 636/3815 हिस्सा व चक मेधसिहपुरा के खाता संख्या 35/105 के खसरा न0

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

955/2 की 2.1370हैक्ट मे से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण की माता व दादी के नाम से दर्ज है।

वादीगण की माता/दादी बालि पत्नि नारायण उर्फ निराणाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र बृजलाल , श्योचन्द , दिपचन्द, राजाराम , निकुराम हुए जिसमें से बृजलाल का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 3 ,4 एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 हुए , दिपचन्द का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 6 एवं प्रतिवादी संख्या 16,17 है तथा निकुराम का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 18 ता 20 है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 नारायण उर्फ निराणा की पुत्री है अर्थात बालि की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 नारायण की मृतक पुत्री हरकौरी के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 नारायण की मृतक पुत्री बिदामी के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 नारायण की मृतक पुत्री पारी के वारिसान है इसप्रकार बालि पत्नि नारायण उर्फ निराणाराम के जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 है जो बालि पत्नि नारायण उर्फ निराणाराम की सम्पति पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 जो वादीगण की बहने/पिता /बुआ /भाई है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वाद भूमि जो बालि पत्नि नारायण उर्फ निराणाराम के नाम से दर्ज है को वादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 149/133 की कुल 11.4450 हैक्ट मे से 636/3815 हिस्सा व चक मेधसिहपुरा के खाता संख्या 35/105 के खसरा न0 955/2 की 2.1370हैक्ट मे से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण की माता व दादी के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादीगण की माता/दादी बालि पत्नि नारायण उर्फ निराणाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र बृजलाल , श्योचन्द , दिपचन्द, राजाराम , निकुराम हुए जिसमें से बृजलाल का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 3 ,4 एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 हुए , दिपचन्द का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 6 एवं प्रतिवादी संख्या 16,17 है तथा निकुराम का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 18 ता 20 है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 नारायण उर्फ निराणा की पुत्री है अर्थात बालि की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 नारायण की मृतक पुत्री हरकौरी के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 नारायण की मृतक पुत्री बिदामी के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 नारायण की मृतक पुत्री पारी के वारिसान है इसप्रकार बालि पत्नि नारायण उर्फ निराणाराम के जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 है जो बालि पत्नि नारायण उर्फ निराणाराम की सम्पति पाने के अधिकारी है जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है एवं प्रतिवादीगण ने भी वादीगण के कथनों का समर्थन किया गया है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 149/133 की कुल 11.4450हैक्ट भूमि में से 636/3815 हिस्सा व रोही मौजा मेघसिहपुरा के खाता संख्या 35/105 के खसरा न0 955/2 की 2.1370हैक्ट भूमि में से 1/6 भूमि बालि के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 ,2 बहिव 2/5 हिस्सा , वादी संख्या 3 ,4 बहिव 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 5 ,6 का बहिव 2/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राजाराम पुत्र निराणाराम उर्फ नारायण जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. श्योचन्द पुत्र निराणाराम उर्फ नारायण जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
3. गौरीशंकर पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
4. सोहनलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
5. रोहिताश पुत्र निकुराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
6. भालाराम पुत्र दिपचन्द जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. विमला पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नि रणजीत जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ
2. धनकौर पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नि हंसराज जाति जाट निवासी नरवासी तहसील राजगढ जिला चुरू
3. महावीरसिह पुत्र हरकौरी पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नी गोविन्दराम जाति जाट निवासी हिसार
4. प्रतापसिह पुत्र हरकौरी पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नी गोविन्दराम जाति जाट निवासी हिसार
5. गुडी पुत्री हरकौरी पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नी गोविन्दराम जाति जाट निवासी हिसार
6. कलावती पुत्री पुत्र हरकौरी पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नी गोविन्दराम जाति जाट निवासी हिसार
7. रामकुमार पुत्र बिदामी पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नि मुन्शीराम जाति जाट निवासी सिखवाल तहसील आदमपुर
8. रोहिताश पुत्र बिदामी पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नि मुन्शीराम जाति जाट निवासी सिखवाल तहसील आदमपुर
9. कलावती पुत्री पुत्र बिदामी पुत्री नारायण उर्फ निराणाराम पत्नि मुन्शीराम जाति जाट निवासी लिखवाल तहसील आदमपुर
10. उम्मेदसिह पुत्र पारी पुत्री बिदामी पत्नि मुन्शीराम जाति जाट निवासी गालड तहसील राजगढ जिला चुरू
11. मैनादेवी पुत्री पारी पुत्री बिदामी पत्नी मुन्शीराम जाति जाट निवासी गालड तहसील राजगढ जिला चुरू
12. राजबाला पुत्री पारी पुत्री बिदामी पत्नी मुन्शीराम जाति जाट निवासी गालड तहसील राजगढ जिला चुरू
13. रोशनी पुत्री बृजलाल पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
14. कृष्णा पुत्री बृजलाल पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
15. समकोरी पत्नी बृजलाल पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
16. गुडडी पत्नी दीपचन्द पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
17. मन्जु पुत्री दीपचन्द पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
18. कमला पत्नी निकुराम पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
19. मोहिनी पुत्री निकुराम पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
20. शकुन्तला पुत्री निकुराम पुत्र नारायण उर्फ निराणाराम जाति जाट निवासी सोनडी
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 421 सन 2020 निर्णय दिनांक– 16/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 149/133 की कुल 11.4450हैक भूमि में से 636/3815 हिस्सा व रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 35/105 के खसरा न0 955/2 की 2.1370हैक भूमि में से 1/6 भूमि वालि के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 ,2 बहिब 2/5 हिस्सा , वादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 5 ,6 का बहिब 2/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner